न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/81/2021

विशम्भर पुत्र जगराम जाति गूर्जर निवासी मूढौती तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन पिकअप एच.आर. 74/ए 9418 वमुकदमे एफ.आई.आर. संख्या 207/2021 अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) थाना गोपालगढ, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री राधेश्याम जादौन, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 09.03.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी वाहन का जरिये बिक्रीनामा मालिक काबिज है तथा सुपुर्दगी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के वाहन को दिनांक 8.10.2021 को पशु हाट नगर से खरीददारों के पशुओं को ले जा रहा था जिसे पुलिस थानाा गोपालगढ द्वारा जब्त कर लिया, वाहन खुले में खडा हुआ है जिसके खराब होने की पूर्ण संभावना है। पुलिस थाना गोपालगढ को वाहन की आवश्यकता नही है, जबकि प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यो के लिए वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन पिकअप एच.आर.74/ए 9418 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना गोपालगढ से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना गोपालगढ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 17.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये कथन किया है कि जब्तशुदा वाहन पिकअप एच.आर.74/ए 9418 का स्वामी है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। प्रार्थी का उक्त वाहन पशु हाट नगर से खरीददारों के पशुओं को लेकर जा रहा था जिसे थाना गोपालगढ द्वारा उक्त वाहन को गोवंश अधिनियम में जब्त किया हुआ है जो खुले में खडे रहने से वाहन के खराब होने की संभावना है। प्रकरण में भी पुलिस थाना गोपालगढ को कोई आवश्यकता नही है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है । वाहन स्वामी ने रवन्ना पेश किया गया है जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नही किया हुआ है जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। प्रार्थी ने अपने सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में कोई शपथ पत्र या साक्ष्य नही किया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह इस तरह के कृत्य की पुनरावृति नही करेगा। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना गोपालगढ की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना गोपालगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वाहन पिकअप एच.आर.74/ए 9418 में तीन गाय व एक बछिया गोवंश को गोवध के लिए ले जाना पाया गया है जो राजस्थान से हरियाणा ले जाये जा रहे थे। वाहन मालिक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रवन्ना रसीद पशु हाट नगर की प्रतियां पेश की है, जिसके प्रमाणीकरण का कोई साक्ष्य नही है और ना ही पुलिस रिपोर्ट में उक्त रसीद का कोई उल्लेख है। वाहन का गोवंश परिवहन करने का सक्षम प्राधिकारी का परमिट नही था। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है, जिसकी आगे भी उपयोग में लेने की संभावना रहेगी। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो सके साथ ही प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य या शपथ पत्र पेश नही

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

किया जिसमें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृति न हो। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन पिकअप एच.आर. 74/ए 9418 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन पिकअप एच.आर. 74/ए 9418 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी गोपालगढ (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर